दी. वाद 70/2018 रामलाल / शंभूराम

30.7.2018 वादी का वकील वादी के अभिभाषण पर
पत्रावली अन्तर्गत पेश हुई। वादी ने अभिभाषण
पेश कर निवेदन किया कि शनीराम लोकेशन
की भूमि का नाजायज प्रकाशन कोटपूतली
बोर्ड विक्रय की है जिससे हुआ वादित
विद्युत लाईन फरमाना नाजायज। वादी
वकील वादी को उक्त पत्रावली का
अवलोकन किया वादी का अभिभाषण
का स्वीकार किया जाकर वादी
का दावा वादित विद्युत लाईन किया
जाने के पत्रावली निस्तारण हुआ होकर
अग्रिम कार्यवाही सहित दर्ज हो।

रामलाल

शंभूराम

पदच्यात कर्मी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner